


18⁸/₂₅

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी व वादी
को आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने के बावजूद भी वकील
वादी व वादी न्यायालय में हाजिर
नहीं होने पर वादी का वाद अहम
हाजरी अहम पेशी में थारिज किया
जाता है पत्रावली फसल शुमार
होकर नम्बर कम होकर वाकिल
दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
बलारामगढ़